

22/4/26

पञ्चादशी काष्ठे निधी- पेण डी पकीर-
पारी अपन वार वारी- स्त्रीदल- डिम फांर
हो विस्तृत निधी- अलाग ले शाकि-
डिग गरन डिक्की फांर हो नंफर हो वर-
ला

निधी- आहार जप

W

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)



Gems
2022/322

दिनांक

न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.

प्रकरण सं0 :-24/2022

GMS-2022/372

प्रस्तुति दिनांक:-01.02.2022

1. भारूराम पुत्र श्री रावताराम जाति नायक निवासी संघर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
 2. फताराम पुत्र श्री रावताराम (फौत)
 - 2.1 निको देवी पत्नी फताराम जाति नायक निवासी संघर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
 - 2.2 मामकौरी पत्नी फताराम जाति नायक निवासी संघर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
 - 2.3 निर्मला देवी पुत्री फताराम जाति नायक निवासी संघर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
 - 2.4 रजीराम पुत्र फताराम जाति नायक निवासी संघर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
- नाबालिग जरिये माता मामकौरी पत्नी फताराम नायक निवासी संघर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगरवादीगण

बनाम

1. श्री नानूराम पुत्र श्री सांवलाराम जाति नायक निवासी संघर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
2. कृष्ण पुत्र सांवलाराम जाति नायक निवासी संघर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
3. गिरदावरी पुत्री श्री सांवलाराम जाति नायक निवासी संघर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
4. गीता देवी पुत्री सांवलाराम जाति नायक निवासी संघर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
5. रेशमा पुत्री सांवलाराम जाति नायक निवासी संघर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
6. लिच्छीराम पुत्र सांवलाराम जाति नायक निवासी संघर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
7. सुमाष पुत्री सांवलाराम जाति नायक निवासी संघर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
8. सरोज पुत्री सांवलाराम जाति नायक निवासी संघर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
9. सावीत्री पुत्री सांवलाराम जाति नायक निवासी संघर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
10. शारदा पत्नी जोतराम जाति नायक निवासी संघर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
11. सन्दीप कुमार पुत्र जोतराम जाति नायक निवासी संघर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
12. सुमन चावरिया पुत्री श्री जोतराम जाति नायक निवासी संघर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0
13. श्री तहसीलदार राजस्व तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (प्रतिवादीगण)

वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 88-53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :-

1. श्री राकेश सारस्वत, अभिभाषक (वादीगण)
2. प्रतिवादी नं0 1 ता 13 वाद सूचना अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक:- 23.04.2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि यह कि वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88-53 आरटीए प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 12 के नाम से संयुक्त खाता में तहसील सूरतगढ के चक 9 एसजीआर खाता नं0 12 प0न0 25/318 (77) कि0न0 1/1 ता 25 = 6.325 है0 यानि 25-00 बीघा बारानी मय रास्ता खातेदारी भूमि में वादी नं0 1, 192/575 हिस्सा यानि 2.112 है0 बारानी मय रास्ता खातेदारी भूमि का एवं वादी नं0 2, 2113/6325 हिस्सा यानि 2.113 है0 बारानी मय रास्ता खातेदारी भूमि का खातेदार कृषक जमांबदी पटवार वाके दर्ज है।

.....लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

जमाबन्दी सम्वत् 2077 की सत्य प्रतिलिपि शामिल पत्रावली हैं। उपरोक्त मद सं० 1 में वर्णित भूमि की हिस्साकसी काफी छोटे छोटे टुकडो में वर्णित है। जिससे काश्त करने में तथा रकम आदि जमा करवाने में हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिससे कृषि के विकास में बाधा आती रहती है। ऋण व कृषि क्लेश एवं सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने में भी सहमति की आवश्यकता होती है। जिस कारण से तहसील के रोजाना चक्कर लगाने पड़ते हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा संयुक्त रूप से दर्ज अपनी खातेदारी भूमि को घरू बंटवारा कर किश्म अनुसार कम व ज्यादा हिस्सा करते हुये आपस में विभाजित कर रखी है एवं घरू बंटवारा अनुसार अपनी-2 कब्जा की भूमि में शान्ति पूर्वक काश्त कर रहें हैं। उक्त सहमति व स्वेच्छा से किये गये घरू बंटवारा अनुसार वादीगण के कब्जा की भूमि निम्न प्रकार से हैं:-वादी नं० 1 चक 9 एसजीआर खाता नं० 12 प०न० 25/318 (77) कि०न० 4/0.169 है० बारानी मय रास्ता (0.153 है० बारानी, 0.016 है० रास्ता) पासा पूर्व 5/0.253 है० बारानी मय रास्ता, 6/0.253 है० बारानी, 7/0.169 है० बारानी पासा पूर्व, 14/0.169 है० बारानी पासा पूर्व, 15/0.253 है० बारानी, 16/0.253 है० बारानी, 17/0.169 है० बारानी पासा पूर्व, 24/0.169 है० बारानी पासा पूर्व, 25/0.253 है० बारानी कुल 2.110 है० बारानी मय रास्ता खातेदारी भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर रहा हैं एवं वादी नं० 2 चक 9 एसजीआर खाता नं० 12 प०न० 25/318 (77) कि०न० 2/0.085 है० बारानी मय रास्ता (0.076 है० बारानी 0.009 है० रास्ता) पासा पूर्व, 3/0.253 है० बारानी मय रास्ता, 4/0.084 है० बारानी मय रास्ता (0.075 है० बारानी, 0.009 है० रास्ता) पासा पश्चिम, 7/0.084 है० बारानी पासा पश्चिम, 8/0.253 है० बारानी, 9/0.085 है० बारानी पासा पूर्व, 12/0.085 है० बारानी पासा पूर्व, 13/0.253 है० बारानी, 14/0.084 है० बारानी पासा पश्चिम, 17/0.084 है० बारानी पासा पश्चिम, 18/0.253 है० बारानी, 19/0.085 है० बारानी पासा पूर्व, 22/0.085 है० बारानी पासा पूर्व, 23/0.253 है० बारानी, 24/0.084 है० बारानी पासा पश्चिम कुल 2.110 है० बारानी मय रास्ता खातेदारी भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर रहें हैं। इसलिये बंटवारा में उक्त भूमि ही लेना चाहते हैं। अतः दावा पेश करने के अधिकारी है। वादीगण ने आज से करीब सात रोज पहले प्रतिवादीगण नं० 1 ता 12 से तहसील में चलकर अपने-2 कब्जा काश्त अनुसार पूर्वज द्वारा किये गये घरू बंटवारा को मध्यनजर रखते हुये खाता विभाजन करवाने हेतु कहां तो प्रतिवादी नं० 1 ता 12 ने कहां कि हमारे पास खाता विभाजन करवाने हेतु रूपये नहीं है। सारी कमाई भूमि सुधार में लग चुकी है। अतः तहसील में जाकर खाता विभाजन करवाने में मैं असमर्थ है। प्रतिवादी नं० 1 ता 12 की बस यही इंकारी वाद कारण (Cause of action) है। अतः वादपत्र स्वीकार कर मुताबिक वादपत्र वादीगण डिक्री फरमाया जावें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नं० 1 ता 12 बाद सूचना अनुपस्थित रहें। जिनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। विरुद्ध जबाबदावा नहीं आने पर तनकीयात कायम नहीं की गई। दिनांक 07.05.2025 को साक्ष्य वादी वादी नं० 1 द्वारा शपथ पेश किया गया। जिसकी जिरह शून्य रही। पत्रावली बहस हेतु प्रस्तुत हुई। वादीगण द्वारा मुताबिक वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनी गई। वादपत्र में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा मुताबिक कब्जा काश्त वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया हैं। जबकि प्रतिवादी नं० 1 ता 13 के खिलाफ विधिवत् एकपक्षीय कार्यवाही होने के कारण कोई विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ हैं। अतः हम वादीगण का वादपत्र स्वीकार करना उचित समझते हैं।

.....लगातार 3 पर



उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)


(3)

प्र0सं0:-24/2022

अतः वादपत्र वादीगण स्वीकार किया जाता हैं तहसील सूरतगढ के चक 9 एसजीआर खाता नं0 12 प0न0 25/318 (77) कि0न0 1/1 ता 25 = 6.325 है0 यानि 25-00 बीघा बारानी मय रास्ता खातेदारी भूमि में वादी नं0 1 भारूराम को मुताबिक कब्जा काश्त चक 9 एसजीआर खाता नं0 12 प0न0 25/318 (77) कि0न0 4/0.169 है0 बारानी मय रास्ता (0.153 है0 बारानी, 0.016 है0 रास्ता) पासा पूर्व 5/0.253 है0 बारानी मय रास्ता, 6/0.253 है0 बारानी, 7/0.169 है0 बारानी पासा पूर्व, 14/0.169 है0 बारानी पासा पूर्व, 15/0.253 है0 बारानी, 16/0.253 है0 बारानी, 17/0.169 है0 बारानी पासा पूर्व, 24/0.169 है0 बारानी पासा पूर्व, 25/0.253 है0 बारानी कुल 2.110 है0 बारानी मय रास्ता खातेदारी भूमि का खातेदार कृषक एवं वादी नं0 2 फताराम के देहान्त पश्चात् उनके वारिसान वादी नं0 2.1 से 2.4 को मुताबिक कब्जा काश्त चक 9 एसजीआर खाता नं0 12 प0न0 25/318 (77) कि0न0 2/0.085 है0 बारानी मय रास्ता (0.076 है0 बारानी 0.009 है0 रास्ता) पासा पूर्व, 3/0.253 है0 बारानी मय रास्ता, 4/0.084 है0 बारानी मय रास्ता (0.075 है0 बारानी, 0.009 है0 रास्ता) पासा पश्चिम, 7/0.084 है0 बारानी पासा पश्चिम, 8/0.253 है0 बारानी, 9/0.085 है0 बारानी पासा पूर्व, 12/0.085 है0 बारानी पासा पूर्व, 13/0.253 है0 बारानी, 14/0.084 है0 बारानी पासा पश्चिम, 17/0.084 है0 बारानी पासा पश्चिम, 18/0.253 है0 बारानी, 19/0.085 है0 बारानी पासा पूर्व, 22/0.085 है0 बारानी पासा पूर्व, 23/0.253 है0 बारानी, 24/0.084 है0 बारानी पासा पश्चिम कुल 2.110 है0 बारानी मय रास्ता खातेदारी भूमि में वादी नं0 2.1, 2.2 ब0हि0ब0 1/3 हिस्सा व वादी नं0 2.3, 2.4 ब0हि0ब0 2/3 हिस्सा के खातेदार कृषक घोषित किये जाते हैं। प्रतिवादीगण का खाता संयुक्त रखा जाता हैं। रहन का नोट यथावत् रहें। इसी खाता विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु डिक्री जारी होकर पत्रावली दाखिल दफतर फरमाई जावें।

निर्णय आज दिनाक 23.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।




उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)
सहायक जिलाधीश एवं
उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.

प्रकरण सं० :-24 / 2022

प्रस्तुति दिनांक:-01.02.2022

1. भारूराम पुत्र श्री रावताराम जाति नायक निवासी संघर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज०
2. फताराम पुत्र श्री रावताराम (फौत)
 - 2.1 निको देवी पत्नी फताराम जाति नायक निवासी संघर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
 - 2.2 मामकौरी पत्नी फताराम जाति नायक निवासी संघर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
 - 2.3 निर्मला देवी पुत्री फताराम जाति नायक निवासी संघर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
 - 2.4 रजीराम पुत्र फताराम जाति नायक निवासी संघर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज० नाबालिग जरिये माता मामकौरी पत्नी फताराम नायक निवासी संघर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

.....वादीगण

बनाम

1. श्री नानूराम पुत्र श्री सांवलाराम जाति नायक निवासी संघर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज०
2. कृष्ण पुत्र सांवलाराम जाति नायक निवासी संघर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज०
3. गिरदावरी पुत्री श्री सांवलाराम जाति नायक निवासी संघर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज०
4. गीता देवी पुत्री सांवलाराम जाति नायक निवासी संघर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज०
5. रेशमा पुत्री सांवलाराम जाति नायक निवासी संघर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज०
6. लिच्छीराम पुत्र सांवलाराम जाति नायक निवासी संघर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज०
7. सुभाष पुत्री सांवलाराम जाति नायक निवासी संघर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज०
8. सरोज पुत्री सांवलाराम जाति नायक निवासी संघर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज०
9. सावीत्री पुत्री सांवलाराम जाति नायक निवासी संघर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज०
10. शारदा पत्नी जोतराम जाति नायक निवासी संघर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज०
11. सन्दीप कुमार पुत्र जोतराम जाति नायक निवासी संघर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज०
12. सुमन चावरिया पुत्री श्री जोतराम जाति नायक निवासी संघर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज०
13. श्री तहसीलदार राजस्व तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(प्रतिवादीगण)

वादपत्र धारा 88-53 आरटीए मुकदमा नं० 24 वर्ष 2022 यह मुकदमा में पेश होने पर वास्ते इनफिलास किर्तई रुबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री राकेश सारस्वत के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:-

दावा वादीगण स्वीकार कर जैरवाद रकबा चक 9 एसजीआर खाता नं० 12 प०न० 25/318 (77) कि०न० 1/1 ता 25 = 6.325 है० यानि 25-00 बीघा बारानी मय रास्ता खातेदारी भूमि में

वादी नं० 1 भारूराम को मुताबिक कब्जा काश्त:- चक 9 एसजीआर खाता नं० 12 प०न० 25/318 (77) कि०न० 4/0.169 है० बारानी मय रास्ता (0.153 है० बारानी, 0.016 है० रास्ता) पासा पूर्व 5/0.253 है० बारानी मय रास्ता, 6/0.253 है० बारानी, 7/0.169 है० बारानी पासा पूर्व, 14/0.169 है० बारानी पासा पूर्व, 15/0.253 है० बारानी, 16/0.253 है० बारानी, 17/0.169 है० बारानी पासा पूर्व, 24/0.169 है० बारानी पासा पूर्व, 25/0.253 है० बारानी कुल 2.110 है० बारानी मय रास्ता खातेदारी भूमि का खातेदार कृषक एवं

वादी नं० 2 फताराम के देहान्त पश्चात् उनके वारिसान वादी नं० 2.1 से 2.4 को मुताबिक कब्जा काश्त:- चक 9 एसजीआर खाता नं० 12 प०न० 25/318 (77) कि०न० 2/0.085 है० बारानी मय रास्ता (0.076 है० बारानी 0.009 है० रास्ता) पासा पूर्व, 3/0.253 है० बारानी मय रास्ता, 4/0.084 है० बारानी मय रास्ता (0.075 है० बारानी, 0.009 है० रास्ता) पासा पश्चिम, 7/0.084 है० बारानी पासा पश्चिम, 8/0.253 है० बारानी, 9/0.085 है० बारानी पासा पूर्व, 12/0.085 है० बारानी पासा पूर्व, 13/0.253 है० बारानी, 14/0.084 है० बारानी पासा पश्चिम, 17/0.084 है० बारानी पासा पश्चिम, 18/0.253 है० बारानी, 19/0.085 है० बारानी पासा पूर्व, 22/0.085 है० बारानी पासा पूर्व, 23/0.253 है० बारानी, 24/0.084 है० बारानी पासा पश्चिम कुल 2.110 है० बारानी मय रास्ता खातेदारी भूमि में वादी नं० 2.1, 2.2 ब०हि०ब० 1/3 हिस्सा व वादी नं० 2.3, 2.4 ब०हि०ब० 2/3 हिस्सा के खातेदार कृषक घोषित किये जाते हैं। प्रतिवादीगण नं० 1 ता 12 का खाता सयुक्त रखा जाता है। रहन का नोट यथावत् रहे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने हेतु तहसीलदार सूरतगढ को आदेशित किया जाता है।

नोज..... मुबलिग..... वाबत..... खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह..... फरदो की पालना आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें ।

बसिब्ल मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 23.04.26 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी

सहायक जिलाधीश (राज.)

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

